उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U P POWER CORPORATION LTD.
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–135–कार्य / चौदह–पाकालि / 2020–8(41)–के / 2019 दिनांक: 30 जनवरी, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणान्चल /
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय : **M/s Bhadora Industries Pvt. Ltd., 4 S.U.I.E Dhonga, Tikamgarh, (M.P) को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता (सा0प्र0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के पत्र सं0–2069 / अधी0अभि0(सा0प्र0) / गविविनिलि दिनांक 20.11.2019 (छायाप्रति संलग्न) जो कि M/s Bhadora Industries Pvt. Ltd., 4 S.U.I.E Dhonga, Tikamgarh, (M.P) को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करें।

अधीक्षण अभियन्ता (सा0प्र0) के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

संख्या–135–(I)–कार्य / चौदह–पाकालि / 2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 / राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (सा0प्र0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को उनके पत्र सं0–2069 / अधी0अभि0(सा0प्र0) / गविविनिलि दिनांक 20.11.2019 के संदर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः–यथोपरि।

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

8(41) ड/19

Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited

Head Office: 4 A. Gokhale Marg, Lucknow

पत्र सं० 76 कार्य-14/ ... दि० 2020

क्रम सं० ... दिनांक ...

पत्रावली सं० 8(41) ड/19

पत्रांक ... /अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/मेडको/2253/2018 दिनांक:

Sub: M/s Bhadora Industries Pvt. Ltd., 4, S.U.I.E. Dhonga, Tikamgarh (M.P.) को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।

संयुक्त सचिव (कार्य)
उ0प्र0पा0का0लि0,
14, अशोक मार्ग,
शक्ति भवन, लखनऊ

कृपया उपरोक्त विषयक आपको निम्नवत अवगत कराना है।

1. **M/s Bhadora Industries Pvt. Ltd., 4, S.U.I.E. Dhonga, Tikamgarh (M.P.)** द्वारा मेडको/2253/2018 के अन्तर्गत आपूर्तित सामग्री के जाँच मे असफल पाये जाने पर इस फर्म को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1858/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/मेडको/2253/2018, दिनांक 11.10.2019 के द्वारा तीन वर्ष के लिये व्यापार निषिद्ध कर दिया गया था।
2. तदोपरांत फर्म द्वारा, विभाग द्वारा व्यापार निषिद्ध किये जाने के निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में वाद दायर किया गया था।
3. इस सम्बन्ध मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नवत है:-

   "In view of above, we set aside the order dated 11.10.2019 to the extent of debarration of the petitioner's firm from participation in business for a period of three years. It is with liberty to the respondents to pass an order afresh after giving opportunity of hearing to the petitioner for debarration/blacklisting, if they so chooses. This order will not come in the way for the aforesaid. The petition is **disposed of with the aforesaid**"

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ ने उपरोक्त पारित आदेश से, इस कार्यालय के पत्र संख्या 1858/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/मेडको/2253/2018, दिनांक 11.10.2019 के द्वारा निर्गत व्यापार निषिद्ध आदेश निरस्त कर दिया है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि।

(एस0एम0 गर्ग)
अधीक्षण अभियन्ता(सा0प्र0)

पत्रांक /अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/मेडको/2253/2018 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, म0वि0वि0नि0लि0, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/केस्को, कानपुर।
3. निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (सा0प्र0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, लखनऊ।

(एस0एम0 गर्ग)
अधीक्षण अभियन्ता(सा0प्र0)

Court No. - 4

Case :- MISC. BENCH No. - 30207 of 2019

Petitioner :- Bhadora Industries Pvt.Ltd.Thru.Director Shashank Bhadora
Respondent :- State Of U.P.Thru.Pria.Secy.Deptt.Of Energy Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Shobhit Mohan Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Aprajita Bansal,Manish Jauhari

Hon'ble Munishwar Nath Bhandari,J.
Hon'ble Vikas Kunvar Srivastav,J.

Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the respondents and perused the material available on record.

By this writ petition, a challenge has been made to the office order dated 11.10.2019 to the extent of debarration of petitioner's firm to participate in the business for a period of three years.

Learned counsel for the petitioner submits that though the show cause notice was given by the respondent but it was under Clause 12 of the Agreement and not for debarration/black listing of the firm. Clause 12 of the agreement does not even provide the debarration.

In view of the above, the impugned order for debarration has been passed without a show cause notice despite settled law of the land that an order of debarration/black listing cannot be passed without any opportunity of hearing. The prayer is to set aside the impugned order dated 11.10.2019 to the extent of debarration of the firm to participate in the business for a period of three years.

Learned counsel for the respondent has contested the writ petition in reference of clause 12 and 19 of the agreement to justify there action. She has submitted that in the test sample given by the firm failed and thus action was taken against the petitioner's firm as consequence thereupon. The prayer is not to cause interference in the impugned order even for debarring the petitioner's firm to participate in business for a period of three years. It is further prayed that if an interference is made then the respondents be given liberty to pass order afresh after giving a show cause notice to the petitioner for debarration/black listing.

We have considered the rival submissions and perused the